80

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 983–दो/2010 – विरूद्ध आदेश दिनांक 2–7–2010 – पारित द्वारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 95/2008–09 अपील

महिला श्रीमती (मृतक) पत्नि श्रीचन्द्र ब्राहमण

वारिस

1– रामसेवक शर्मा 2– विष्णुदत्त शर्मा

3– रामप्रकाश शर्मा 4– रामजीलाल शर्मा

सभी पुत्रगण श्रीचन्द्र ब्राहमण निवासी ग्राम खड़ीत

तहसील अटेर जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुरेश बाबू पुत्र सूरतराम ब्राहमण

ग्राम खड़ीत तहसील अटेर जिला भिण्ड ---असल अनावेदक

2– वासुदेव पुत्र लज्जाराम ब्राहमण

निवासी ग्राम खड़ीत तहसील अटेर जिला भिण्ड --तरतीवीं अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

;आज दिनांक 08 – 03 –2018 को पारितद्ध

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्र0क0 95/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 2–7–10 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि महिला श्रीमती (मृतक) पत्नि श्रीचन्द्र ब्राहमण ने ग्राम खड़ीत स्थित भूमि सर्वे कमांक 245 रकबा 0.33 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) वासुदेव पुत्र लज्जाराम ब्राहमण

निवासी ग्राम खड़ीत से पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की। तहसीलदार अटेर ने ग्राम की नामान्तरण पंजी क्रमांक 3 पर आदेश दिनांक 8-4-2008 से क्रेता का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रकरण क्रमांक 13/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-3-2009 से अपील स्वीकार कर निर्देश दिये कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसील न्यायालय में पूर्व से प्रचलित प्रकरण क्रमांक 32/2003-04 अ-6 का भी निराकरण शीध्र किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी अटेर के इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 95/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-7-10 से अपील अस्वीकार की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के क्रम में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा प्रकरण क्रमांक 13/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-3-2009 एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 95/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-7-10 में निकाले गये निष्कर्षो को देखा गया। अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा आदेश दिनांक 16-3-2009 के पद 7 में इस प्रकार निष्कर्ष अंकित किया है :-

विवादित आराजी के संबंध में पूर्व से व्यवहार वाद चला एंव प्रकरण क्र0 32/12003-04 अ-6 न्यायालय तहसीलदार अटेर में चल रहा था। इसलिये नामांत्रण विवादित था एंव ऐसे विवादित नामानतरण को अविवादित मानकर पंजी पर नामान्तरण प्रमाणित करना न्याय की हत्या करना है तथा यदि नामान्तरण अविवादित ही था तब 16 अप्रेल को ग्राम खड़ीत में ग्रामसभा का सम्मेलन हुआ , उस सम्मेलन में नामान्तरण पंजी क्यों नहीं प्रस्तुत की गई। पंजी के साथ संलग्न इस्तहार पर भी पटवारी के हस्ताक्षर हैं जबकि उस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिये। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी ने नामान्तरण

पंजी पर किये गये नामान्तरण को दूषित प्रकिया आधारित होने से एंव नियम विरूद्व कार्यवाही पाने से निरस्त किया है। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 95/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-7-10 के पद-5 में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है :-

प्रकरण में यह देखना कि क्या वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व से प्रचलित व्यवहार वाद के दौरान भूमि विक्रय होने पर नामान्तरण किया जा सकता है अथवा नहीं ? 1972 रा0नि0 350 एंव 1980 रा0नि0 254 तथा 1985 रा0नि0 218 के न्यायिक दृष्टांत हैं कि व्यवहार न्यायालय में विवाद लम्बित होने पर यदि कोई संपत्ति विक्रीत होती है - ट्रॉसफर आफ प्रापर्टी एक्ट की धारा 52 - विक्रीत भूमि पर क्रेता को कोई स्वत्व प्रदान नहीं होते हैं। इस प्रकार के निष्कर्ष देते हुये अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 2-7-10 से निगरानी अस्वीकार की है। अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा आदेश दिनांक 16-3-2009 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 2-7-10 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 95/2008-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-7-10 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर